MR. DEPUTY CHAIRMAN: Uttaranchal (Alteration of Name) Bill, 2006.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): सर, स्पेशन मेंशन पहले लेंगे, तय हुआ था। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इसके बाद ले लेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, क्या यह इंटरोड्यूस होना है।

श्री उपसभापति: इंटरोड्यूस हो गया है, कंसिड्रेशन एंड पास।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, उस दिन तय हुआ था कि दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय है, उसमें पांच जीरो-आवर ज्यादा से ज्यादा, और 7 से 10 तक स्पेशल मेंशन होंगे। लेजिस्लेशन बिजनेस दो बजे के बाद। लोग तैयार बैठे हैं स्पेशल मेंशन को लेकर।

श्री उपसभापति: बिजनेस हेल्डअप हो गया है। इस पर कोई स्पीकर नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: चलिए, साहब। वैसे जो तय हुआ, वह मैंने कहा।

GOVERNMENT BILLS

The Uttaranchal (Alteration of Name) Bill, 2006

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg to move :

> "That the Bill to alter the name of the State of Uttaranchal, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Legislative Assembly of Uttaranchal adopted a Resolution on 5th October, 2005, that the name of the State of 'Uttaranchal' should be changed to 'Uttarakhand' stating, *inter-alia,* that the general public of the State is of the view that on the basis of mythology and history, the name of the State should be 'Uttarakhand'. The Government of Uttaranchal also requested the Central Government to take further necessary steps to alter the name of the State.

The Government of India decided to accept the request of the Legislative Assembly of Uttaranchal. The Uttaranchal (Alteration of Name) Bill, 2006, seeks to alter the name of the State of 'Uttaranchal' to the State of

'Uttarakhand' by amending the relevant provisions of the Constitution and also by providing for consequential provisions.

Sir, I commend the Uttaranchal (Alteration of Name) Bill, 2006, as passed by Lok Sabha, to this august House for consideration and passing.

The question was proposed

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य का नाम बदलने, किसी भी राज्य की सीमा बदलने का अधिकार संसद को है। केन्द्र सरकार उसके विषय में कोई भी विधान ला सकती है, लेकिन इस विषय में मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। हमारे बड़े गुणी गृह राज्य मंत्री जी उनका उत्तर देंगे तो हम बड़े कृतज्ञ होंगे।

वर्ष 2000 में पूर्व एनडीए सरकार के द्वारा उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद डेढ़-दो वर्ष तक वहां भाजपा का शासन था। 2002 में उत्तरांचल राज्य के चुनाव हुए और वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती। 2002 में उत्तरांचल का नाम बदलने की कोई चिंता नहीं हुई। जनता ने आपको बहुमत दिया और हमने बड़े सम्मान से उसे स्वीकारा। आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी वहां के मुख्य मंत्री बने।

आदरणीय उपसभापति जी, अब मैं इस सदन में यह बात नहीं रखना चाहता कि उत्तरांचल को पूरा अलग राज्य बनाने के बारे में वहां के आदरणीय मुख्य मंत्री जी का क्या विचार था। मैं यहां यह नहीं कहूंगा। लेकिन 2002 के चुनाव में कभी यह बात नहीं कही गई कि उत्तरांचल को उत्तराखंड बना देना चाहिए। घोषणा पत्र में यह बात नहीं थी और पूरे 2002, 2003, 2004, 2005 में कभी ऐसी चर्चा भी नहीं हुई, उत्तरांचल की विधान सभा के द्वारा कभी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। 2006 के आरम्भिक महीनों में भी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन एकाएक 2006 के अगस्त के बाद से यह पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। वहां से इस संबंध में प्रस्ताव आया और आज वह हमारे सदन के सामने है। इसलिए सही में यह सवाल उठाने की इच्छा होती है कि जब उत्तरांचल राज्य बनाने के बाद आज हम दो महीने बाद तीसरे चुनाव का सामना करने जा रहे हैं, तो एकाएक वहां की सरकार और केन्द्र सरकार को उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाने की चिंता कहां से आ गई? यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है।

आदरणीय उपसभापति जी, जैसा मैंने पहले कहा, संसद को नाम बदलने का अधिकार तो है, लेकिन आज उससे जुड़ा एक और सवाल उठता है। यहां पर श्री शाहिद सिद्दिकी साहब बैठे हैं, वह सांसद भी हैं और पत्रकार भी हैं, सभी चीजों को समझते हैं, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी, आज उत्तरांचल बनने के बाद आपको मालूम है कि राज्य का नाम कई जगह प्रयोग होता है। गाड़ी के नेम

प्लेट्स, शासन के आदेश, रेलवे स्टेशन, स्टेशनरी, उनके नाम बदलने में काफी खर्च भी होता है। हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड बदलने के बाद शासन के ऊपर क्या खर्च आएगा? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भी खर्च आएगा, जिस खर्चे का उपयोग होगा, वह खर्चा पब्लिक मनी है, पब्लिक फंड है और संसद को यह जानने का अधिकार है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड बदलने में पूरे शासन के द्वारा कितना शासकीय व्यय होगा। मैंने मात्र एक उदाहरण दिया, बहुत जगह नाम बदलना पड़ेगा। आदरणीय उपसभापति महोदय, बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि यह जो नाम बदलने के बारे में उस पर खर्चे के बारे में जानने की कोशिश की है, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे पूरे उत्तरांचल में, केन्द्र सरकार की उत्तरांचल की प्रक्रियाओं में इस उत्तरांचल को उत्तराखंड में नाम बदलने में। तो क्या यह जो अचानक अक्ल आई है केन्द्र सरकार को कि क्या यह चुनाव से जुड़ा हुआ लक्ष्य है? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पूरा विचार है यदि यह दो-तीन-चार साल पहले आया होता तो मैं यह सवाल नहीं पूछता, अगर यह 2002 में आया होता तो मैं सवाल नहीं पूछता। 25 मई, 2004 को यू॰पी॰ए॰ सरकार केन्द्र में आ गई, उस समय यह लाया होता तो मैं यह सवाल नहीं पूछता। लेकिन आज उत्तरांचल के चुनाव में जब मात्र दो महीने बाकी हैं, ढाई महीने बाकी हैं उस समय सदन में यह प्रस्ताव लाना बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। यह कोशिश की जा रही है कि इसके बारे में हमारी बहुत जबर्दस्त रिजर्वेशन है। लेकिन मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कांग्रेस के लोग यह सरकार के लोग कोशिश करें, उत्तरांचल की जनता ने अपना निर्णय कर लिया है और जब फरवरी में चुनाव होगा उस समय हम देखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : सर, मुझे बहुत खुशी है और मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वहां की जनता जो चाहती थी और सालों से जो मांग आपके पास थी, आपने उसको माना, उनके दिल की बात, उनके दिमाग की बात, उनके संघर्ष की बात को ध्यान में रखते हुए जो संघर्ष किया था वहां के लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए आज आप यहां इस बिल को लाए हैं, उसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। मुझे रवि शंकर प्रसाद जी की बात सुनकर बड़ा अजीब लगा। एक बात और याद दिला दूं ...(व्यवधान)... रवि शंकर प्रसाद जी आप बाद में बात कर लें। 1996 में सबसे पहले अगर प्रस्ताव उत्तरांचल का रखा था तो मैंने लोक सभा में रखा था और इसलिए मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :और यहां मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल रखा था।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: हम लोग यहां बैठकर राजनीति ही करने आए हैं। हम लोग यहां तपस्या

करने नहीं आते हैं। अगर राजनीति के हिसाब से भी यह चाहते हैं कि उत्तराखड नाम रखा जाए बजाए उत्तरांचल के, तो उसके पीछे हमारे संघर्ष का ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): मैं यहां रिकार्ड स्ट्रेट कर दूं कि राज्य सभा में उत्तरांचल का रिजोल्यूशन आपसे पहले मैंने रखा था ...(व्यवधान)... प्राइवेट मेंबर्स का रिजोल्यूशन मेरा था। आप तारीखें निकालिए।

श्री सुरेश पचौरी: उत्तराखण्ड पर प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने रखा था। ...(व्यवधान)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 5 सालों में नारायण दत्त तिवारी जी ने जो काम उत्तरांचल में किया है जिस तरह से उसको बदला है, इकॉनोमिक ट्रांसफार्मेशन की है, नई-नई इण्डस्ट्रीज़ लगाई हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, 5 साल एक मजबूत सरकार चलाई है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि हमारी जनता हमारे साथ है। हमें मालूम है कि हमने जो वायदे चुनावों में किए थे उनको हमने पूरा किया है। हमें किसी से कोई तकलीफ भी नहीं है और आपने खर्चे की और इस तरह से बातें की हैं, मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए था कि हम कांग्रेस को मुबारकबाद देते हैं कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया, तो लोगों की जो भावनाएं हैं, तो शायद वहां के लोग आपको पसंद करते। लेकिन आज जो बात आपने कही, वह मानी नहीं जा सकती। सर, हमारे वहां के दो बड़े नेता हरीश रावत जी और नारायण दत्त तिवारी जी, हरीश रावत जी हमारे पी॰सी॰सी॰ के प्रेज़ीडेंट हैं, उस समय जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष में उनका बहुत हाथ रहा। ये लोग जिन्होंने उस स्टेट को एक अच्छा नाम दिया जिस तरह से उन्होंने वहां काम किया है, तो आज उनकी भावनाओं को समझते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि यह जो प्रस्ताव आप लाए हैं, यह प्रस्ताव उनकी भावनाओं को और मुखर बनाएगा और मजबूत बनाएगा। वहां के लोगों को नई पहचान देगा और जो उनकी बहुत पुरानी मांग थी, उसको आपने पूरा किया है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता है। केन्द्र सरकार का काम है ध्यान रखना, नाम बदलने में खर्चा हो, यह मामूली सी बात है, पता नहीं कितनी बार, यहां इसी हिन्दुस्तान में, इसी सदन में कई बार यह हुआ है कि कुछ बड़ी स्टेट से छोटी स्टेट बनी हैं, उनके कई बार नाम बदले गए हैं, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, पांडिचेरी, तो आज अगर उनकी भावनाओं को समझते हुए, एक कदम आपने उठाया है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, वहां के लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूं, उनकी भावनाओं के साथ जुड़कर भी करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वह छोटी स्टेट है, इसलिए उसका केन्द्र सरकार ध्यान रखेगी। जब भी उनको जरूरत होगी, क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, दिल वाले लोग हैं, वह हमारे धर्म की भूमि भी है, हमारे कई बड़े-बड़े तीर्थ वहां पर हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री, ऋषिकेश वहां पर हैं और हरिद्वार उसमें शामिल है। ये लोग हमेशा से हमारे साथ मिलकर

रहे हैं और हम धार्मिक लोग हैं, हमारे हजारों यात्री वहां पर तीर्थ करने के लिए जाते हैं। उनकी भी यह मांग थी कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा जाए। हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें भी उत्तराखंड का नाम आता है। आज उसको ध्यान में रखते हुए, आपने जो नाम बदला है, इसके लिए मैं आपका पुरजोर धन्यवाद करता हूं और सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं।

श्री बनवारी लाल कंचाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं उत्तरांचल (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2006 पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैंने उत्तरांचल जनपद का दौरा कई-कई बार किया है और अभी भी तीन महीने पहले उत्तरांचल के कई जनपदों में होकर आया हूं। माननीय श्री रवि शंकर जी ने जो बात कही कि चार सौ, पांच सौ करोड़ रुपये का खर्चा हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं बदला जाना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। खर्चा न हो तो क्या हम अपना नाम बदल लेंगे? अगर एक पैसा किसी चीज़ में खर्च न हो नाम बदलने पर, तो क्या हम नाम बदल लेंगे? क्या हमारे शास्त्रों का नाम बदल देंगे? क्या तीर्थो का नाम बदल देंगे? क्या प्रदेशों का नाम बदल देंगे? जहां तक हमारे साथी श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी ने भावनाओं की बात कही है, जिन लाखों लोगों ने उत्तरांचल को बनाने के लिए कुर्बानियां दीं, जेल गए, महीनों जेल में रहे, उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए और आपकी सरकार की लाठियां खायीं, उन्होंने उत्तरांचल का नाम रखा था, ऐसे क्रांतिकारियों की भावनाओं के साथ। ...(व्यवधान)... सर, मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (उत्तरांचल): वहां पर जो आंदोलन चला था वह उत्तराखंड के नाम से चला था, उत्तरांचल के नाम से नहीं चला था। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप इनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री बनवारी लाल कंचालः उपसभापति महोदय, वहां के लोगों ने उत्तरांचल नाम रखा था और कभी यह लोक सभा से पास हुआ था, इसलिए इसका नाम उत्तरांचल रखा था। मैं जनभावनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय गृह राज्य मंत्री जी, वहां के लोगों की जनभावनाएं हैं कि हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग किया जाए, उसे उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। ...(व्यवधान)... रुद्रपुर को अलग किया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री बनवारी लाल कंचालः रुद्रपुर को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। हमारी समाजवादी पार्टी उत्तरांचल की जनता के साथ है और जब भी हमें अवसर मिलेगा केन्द्र में सरकार बनाने का, तो हम निश्चित हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग करके उत्तर प्रदेश में मिलायेंगे और रुद्रपुर को भी उत्तर प्रदेश में मिलायेंगे। अगर जनभावनाओं को देखना है, तो इसका नाम बदलना उचित नहीं

होगा। जो उसका उत्तरांचल नाम है; वही नाम रहना चाहिए। हरिद्वार और रुद्रपुर इन दो-तीन जिलों को उत्तर प्रदेश में मिलाने की कार्यवाही यह संसद कर सकती है, हिन्दुस्तान की सरकार कर सकती है, तो जरूर करनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने वहां पर जितने काम के डिढोरे पीटे हैं, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं किया है। जनता की भलाई के लिए जितने काम करने चाहिए, दो-चार, दस-बीस उद्योग लगा दिए हैं, यह बात ठीक है और मैं नारायण दत्त तिवारी जी की इतनी तारीफ करना चाहता हूं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में वहां पर कोई काम नहीं हुआ है, यह मैं बताना चाहता हूं। इसलिए यह चुनाव की तरफ से ध्यान हटाने के लिए, अभी रवि शंकर जी ने ठीक कहा कि चुनाव से ध्यान हटाने के लिए, ये उत्तराखंड की एक तुरप चाल इन्होंने चली है, जो कि सफल नहीं होगी। माननीय उपसभापति जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि उत्तरांचल को उत्तरांचल ही रहने दीजिए, उत्तराखंड नहीं बनने दिया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से, उत्तरांचल के नाम को बदलकर उत्तराखंड करने का जो प्रस्ताव है, जिसके संबंध में मंत्री महोदय ने बिल पेश किया है, उसका पुरजोर समर्थन करती हूं। मैं समर्थन इसलिए कर रही हूं क्योंकि सभी जानते हैं कि अलग प्रदेश बनाने के लिए जो संघर्ष किए गए थे, जो जनभावना थी कि उस प्रदेश का नाम उत्तराखंड बने, जितने भी वहां मंच और मोर्चे बने थे, वे सब उत्तराखंड के नाम से बने थे। यह अलग बात है कि बड़े प्रदेश से छोटे प्रदेश बनाने के सवाल पर हमारी पार्टी की एक अलग समझ है, एक अलग सोच है क्योंकि हम समझते हैं कि विकास के लिए जो जरूरतें हैं, वे केवल अलग प्रदेश बनाने से पूरी नहीं होंगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बार जब प्रदेश बन चुका था, उस समय हमारी एक अलग समझ थी। एक बार जब प्रदेश का गठन हो गया और प्रदेश के गठन होने के पीछे जो एक समझ थी, एक भावना थी कि उत्तराखंड बनने के बाद उस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक नया प्रयास होगा, वह, चाहे एनडीए की सरकार हो - अभी यूपीए की सरकार है, अभी तो वहां एन॰ डी॰ तिवारी जी की सरकार है, उस भावना को जबर्दस्त तरीके से ठेस पहुंचाई गयी और जो वायदे इन दोनों पार्टियों ने किये, उनका पूरा उल्लंघन किया, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा यह भी मानना है - मैं तो सुषमा स्वराज जी और रवि शंकर प्रसाद जी की बात सुनकर खुद ही कनफ्यूज्ड हो गयी हूं कि इनकी सरकार थी और सुषमा जी उत्तरांचल से राज्य सभा की सदस्या भी थीं, उनकी सरकार थी तो प्राइवेट मैंबर्स बिल लाने की क्या जरूरत थी? वे उसी समय यह करते ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं बता देती हूं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः दूसरी बात यह है कि ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः अब सुन लीतिए। कनफ्यूज़न है तेा उसे दूर कर लो। मैं 1990 से 1996 तक जब राज्य सभा की सदस्य थी, हरियाणा से, तब उत्तरांचल का निर्माण नहीं हुआ था। तब वह प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्यूशन मैं लायी थी। ...(व्यवधान)... मैं कह रही हूं कि पहले मेरा रेजाल्यूशन था और मैं बनी हूं, उसके बाद, उत्तरांचल बनने के बाद ...(व्यवधान)... कनफ्यूज़न है तो दूर कर लो ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः देखिए, यह एक अलग बात है कि सुषमा ज़ी तमाम प्रदेशों का एक बार जरूर भ्रमण करेंगी ...(व्यवधान)...यह उनकी पार्टी की समझ है ।....(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः यह गौरव मेरे पास है। ...(व्यवधान)...पूरे उत्तरांचल ...(व्यवधान)..

श्री उसभापतिः चलिए छोड़िए, उनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)...चलिए छोड़िए। ...(व्यवधान)... उनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)... आप बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

सुषमा जी पर नहीं, बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसादः प्रधान मंत्री जी कहां से एमपी हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप बैठिए। ..(व्यवधान).. आप बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः एक सवाल जरूर करूंगी कि जब हरियाणा से थीं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप सुषमा जी को छोड़िए, आप बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः तब उत्तरांचल के लिए प्राइवेट मैंबर्स बिल और जब खुद उनकी सरकार बनी, उसके ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप इनडिविजुअल मत ...(व्यवधान)... उनके विचार उनके साथ हैं। ...(व्यवधान)... आप उत्तरांचल बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः उत्तरांचल किसने बनाया? ...(व्यवधान)... अभी ये नयी-नयी आयी हैं, इसलिए इनको पता नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः वृंदा जी, आप बिल पर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः मैं एक बात रखना चाहती हूं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः जब मैं उत्तरांचल में बनी ...(व्यवधान)... उत्तरांचल हम बना चुके थे ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अब छोड़िए उसे। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: उत्तरांचल बनाने का ...(व्यवधान)...एनडीए की सरकार के पास है। ...(व्यवधान)...जो मेरा रेज़ोल्यूशन था, उसी के ऊपर..(व्यवधान)..

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मेरा यह मानना है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, ये पूरी कनफ्यूज्ड हैं ...(व्यवधान)...ये अभी अभी आयी हैं, स्कूल में नयी-नयी आयी हैं, जरा पढ़ लें। उपसभापति जी, मैं बताना चाहती हूं कि 90 से 96 के दौरान ....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बाद में बताइएगा। ...(व्यवधान)...यह उत्तरांचल पर बात हो रही है, सुषमा जी और वृंदा जी में नहीं है। ...(व्यवधान).. .आप उत्तरांचल के ऊपर बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मैं बता दूं कि जब उत्तरांचल विधेयक...(व्यवधान)...जो हमने बनाया। एनडीए की गवर्नमेंट..(व्यवधान)..जो मेरा प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्यूशन था, उसी को ...(व्यवधान)...ये नयी नयी आयी हैं ...(व्यवधान)...मेरी सरकार ने उत्तरांचल बनाया। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: किसी भी प्रदेश ..(व्यवधान)..वह नाम निश्चित रूप से ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। वह बोल रही हैं, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... आप जो बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। केवल वृंदा जी बोलेंगी। ...(व्यवधान)... आप बैठिए न। ...(व्यवधान)... वह बोल रहीं हैं, आप बैठिए, .(व्यवधान)..आप जो बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)....आप बाद में बोलिए। ...(व्यवधान)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... क्यों controversy पैदा मत कीजिए। ...(व्यवधान)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)... आप बैठिए ...(व्यवधान)... आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मुझे बोलने दीजिए। ....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप सुषमा जी को छोड़िए, आप बिल पर आइए। ...(व्यवधान)... Why are you bringing in other things?

श्रीमती वृंदा कारतः आप इनको बैठा दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः ये हमसे क्या चाहती हैं? ...(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shrimati Brinda Karat is speaking. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती वृंदा कारतः सर, दूसरी बात यह है कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः सर, मेरा यह मानना है कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः उत्तरांचल और उत्तराखंड, ...(व्यवधान)...सुषमा जी और वृंदा कारत जी की सीध में नही हैं, आप बैठिए। ...(व्यवधान)...आप बैठिए, ...(व्यवधान)... Nothing will go on record except what Shrimati Brinda Karat is speaking ...(व्यवधान)... Nothing will go on record ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि किसी भी स्थान या संस्था का नाम निश्चित रूप से भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)... रवि प्रसाद जी बोल रहे थे, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप छोड़िए, इंडिविजुअल छोड़िए, आप। ...(व्यवधान)...

रेल मंत्री श्री लालू प्रसादः माननीय सुष्मा जी जब यहां बोलते हुए किसी महिला को देखती हैं तो इनको जलन क्यों होती है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः जलन नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः वे बिल्कुल गलत बोल रही हैं और उलझ रही हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, she can speak afterwards ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Mr. Janardhana Poojary, please sit down. Nothing will go on record except what Shrimati Brinda Karat is speaking ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः *

श्री उपसभापतिः सुषमा जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)... आप छोड़िए ...(व्यवधान)...

---

*Not recorded.

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मैं इनको खुश करने के लिए यही बोलती हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: ठीक है।

श्रीमती वृंदा कारत: कुछ स्पष्ट हो जाए। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति: यह कौन सी कंट्रोवर्सी है। ..(व्यवधान).. आप बैठिए। ...(व्यवधान)... यह छोटा बिल है, इसके ऊपर क्यों इतना ...(व्यवधान)... पहले तो किसी ने नाम ही नहीं दिया था और अब इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, किसी का भी नाम या प्रदेश का नाम भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री विनय कटियार (उत्तर प्रदेश) : *

श्री उपस ापति: इनके विचार हैं, इसलिए इनको अपने विचार रखने दो। ..(व्यवधान)..अपने विचार आप रखें। ...(व्यवधान)...यह कैसे हो सकता है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, गुजरात की कैपिटल का नाम अहमदाबाद ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप यह सब छोड़िए। ..(व्यवधान)..

श्रीमती वृंदा कारत: उस अहमद का शब्द इनको पसंद नहीं है। ...(व्यवधान)...उसको अहमदाबाद बना दिया। इनकी भावना क्या है, अमहदाबाद में रहने वालों की भावना क्या है? ...(व्यवधान)... यह अलग बात है कि इनकी पॉलिटिक्स में इनको अहमद शब्द पसंद नहीं है, ...(व्यवधान)... यह अलग बात है कि इनकी पॉलिटिक्स में इनको अहमद शब्द पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको बदला। जो इनकी दलील है कि इतना पैसा खर्च होता है, यह बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हम यह कहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप खत्म कीजिए।

श्रीमती वृंदा कारत: हम कम्युनिस्ट यूपीए सरकार से कहेंगे कि ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अब वृंदा जी आप समाप्त कीजिए। प्लीज कनकलूड, प्लीज कनकलूड।

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मैं रवि प्रसाद जी की एक बात से सहमत हूं और बनवारी लाल जी की बात से भी सहमत हूं कि जो इन्होंने समय चुना है, निश्चित रूप से चुनाव को देखते हुए चुना है। इनको जो यह कोशिश है इन्होंने चुनावी मुद्रा में आकर यह जो किया, इसको उत्तरांचल और उत्तराखंड की जनता कभी भी उस रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इस सरकार को निश्चित रूप से

---

*Not recorded.

बदलेगी, लेकिन उत्तराखंड का नाम लेते हुए लोग शहीद हुए, उस प्रदेश का नाम निश्चित रूप से उत्तराखंड होना चाहिए।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, यह जो उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखंड किया जा रहा है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सचमुच जान-बूझ कर इस स्थान पर जन भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां की जनता ने उत्तरांचल नाम पर ही प्रदेश बनाया।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो॰पी॰जे॰ कुरियन) पीठासीन हुए]

केवल उत्तरांचल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने जो प्रस्ताव पास किया, वह उत्तरांचल के नाम पर ही किया। वहाँ का जो आन्दोलन खड़ा हुआ, वह आन्दोलन उत्तरांचल के नाम पर ही खड़ा हुआ। अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं, मैं कहना चाहूंगा कि मैं उस आन्दोलन से जुड़ा हुआ हूं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड हो या उत्तरांचल, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था।

जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, एक क्षेत्र विशेष का नाम उत्तराखंड किया गया था। सम्पूर्ण उत्तरांचल, चाहे कुमायूं हो चाहे गढ़वाल हो, ये दोनों मिला कर उत्तरांचल के रूप में आए। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि मेरी स्वयं लोगों से, जो विभिन्न दलों के लोग भी इस आन्दोलन में भागीदार थे, उनसे व्यक्तिगत स्तर पर ही मेरी वार्ता हुई। उत्तरांचल के सम्बन्ध में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनी थी, मैं उसका कनवीनर था। देहरादून में बैठ कर सबसे वार्ता हुई थी। वार्ता के पश्चात् उत्तरांचल एक प्रदेश बने, यह सुनिश्चित किया गया था। बकायदा उत्तर प्रदेश की विधान सभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव आया था, लोगों ने उसकी स्वीकृति प्रदान की थी और स्वीकृति प्रदान करने के बाद तब यहां संसद में आकर उत्तरांचल प्रदेश के नाम पर उत्तरांचल प्रदेश बना। उत्तरांचल प्रदेश के नाम पर जब उत्तरांचल प्रदेश बना, उत्तरांचल की जनता ने उसको आत्मसात कर लिया, हृदयंगम कर लिया। उसमें कहीं भी उत्तरांचल की जनता की तरफ से एक भी शब्द, एक भी वाक्य और कहीं भी आन्दोलन उत्तराखंड के लिए नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं कि लोगों ने कहा, चाहे जन-प्रतिनिधि रहे होंगे चाहे किसी भी दल के नेता रहे होंगे, लोगों ने कहा कि हमारी उत्तरांचल या उत्तराखंड की मांग थी, उत्तरांचल के रूप में यह बन गया, हम इसको स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसके लिए लोगों ने तारीफ की थी, इसका स्वागत किया था। आज एकाएक क्या आवश्यकता पड़ गई उत्तराखंड नाम देने की? बीच में कहीं भी यह आवाज नहीं उठी कि उत्तराखंड बनाया जाए। इस समय, जबकि इसे बने हुए एक दशक हो गया और चुनाव आने वाला है, इसे बनाने का क्या औचित्य था? हम जब इस पर विचार करते हैं, तो शुद्ध रूप से लगता है कि उत्तरांचल की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए इसमें राजनीति की जा रही है और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बटाने की कोशिश की जा रही है। उनका ध्यान दूसरी तरफ बंट कर हम

चुनाव किस तरीके से जीतें, इस प्रकार की बात की जा रही है। मान्यवर, इसलिए यह जो उत्तरांचल का नाम बदला जा रहा है, यह उचित नहीं किया जा रहा है। मेरा आरोप है कि उत्तरांचल की जनता की भावना के साथ जान-बूझ कर खिलवाड़ किया जा रहा है।

उत्तराखंड के बारे में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उसके बारे में कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि यहां जो भी उत्तरांचल या उत्तराखंड के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि केवल कुमायूं के इलाके के बारे में उत्तराखंड बोला जाता था। इसलिए सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार होने के बाद सब लोगों के साथ बैठ कर यह तय हुआ कि सभी को मिला कर, कुमायूं और गढ़वाल, दोनों को मिला कर एक नाम देना चाहिए और कुमायूं और गढ़वाल, दोनों को मिला कर नाम देने के लिए तय हुआ कि हिमाचल है, तो उत्तरांचल होना चाहिए। यह हिमाचल से बिल्कुल लगा हुआ है, अंचल है। इसलिए हमने कहा कि हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उसे खंडित नहीं होने दिया जाए, उसको एक अंचल नहीं रहने दिया जाए। सब मिला कर एक बने, यह सोच कर उसका नाम उत्तरांचल दिया गया था। यह बड़ा उचित नाम था और उसका औचित्य भी था। आज उसको एकाएक बदलने का विधेयक लाकर लोक सभा में पास करा दिया गया और इस सदन में लाया गया है। मैं समझता हूं कि सीधे-सीधे उत्तरांचल की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसमें शुद्ध रूप से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल राज्य के नाम को उत्तराखंड बनवाने के लिए लाए गए विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं। महोदय, आप को स्मरण होगा कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र था। महोदय, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अनेक वर्षों तक लगातार उस क्षेत्र के विकास का काम संचालित करती रही।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): आप बुंदेलखंड की बात करिए।

श्री सत्यवृत चतुर्वेदी: माफ कीजिए, मैं इस समय उत्तरांचल से सांसद चुनकर आया हूं। अब "खंड" तो वह भी था और "खंड" यह भी बन रहा है बहरहाल, उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर 1989 तक का समय आप स्मरण करें, तो उत्तरांचल या उत्तराखंड जो भी नाम देना हो, उस प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में 1989 तक जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, एक भी आंदोलन, एक भी मांग इस बात की क्यों नहीं हुई कि उस प्रदेश को अलग प्रदेश बनाया जाए या छोटा प्रदेश बनाया जाए? उस की वजह थी कि उस क्षेत्र के विकास के लिए जो समुचित ध्यान उस समय दिया जा रहा था ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: एक मिनट, मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि 1983 से वहां प्रखर आंदोलन होता जा रहा था। इसलिए यह कहना कि आंदोलन नहीं था, ठीक नहीं है। मैं स्वयं 1985 के बाद आंदोलन कर रहा था। इसलिए मांग नहीं की जा रही थी, यह कहना गलत है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, अब कोई तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करना चाहे तो उस पर मेरा कोई वश नहीं है। महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि वहां 1989 के बाद आंदोलन शुरू हुआ और मैं सब से पहले इस बात पर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तराखंड का समूचा आंदोलन स्वतंत्र राज्य बनाने का उत्तराखंड के नाम से शुरू हुआ था, उत्तरांचल की कल्पना उस समय तो किसी ने भी नहीं की थी। इस नाम का कहीं भी हवाला या इस नाम का अस्तित्व तक नहीं था। बहरहाल मैं उसे पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता, हम सब जानते हैं कि उसके बाद एक विशालि आंदोलन हुआ, दमन हुआ, सब कुछ हुआ और अंततः जब मैं 13वीं लोक सभा का सदस्य था, लोक सभा के अंदर यह बिल लाया गया कि देश के अंदर तीन नए राज्यों का गठन किया जाए। मुझे स्मरण है क्योंकि मैंने उस समय भी इस चर्चा में भाग लिया था। तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एन०डी०ए० सरकार ने सदन के लोगों की अवहेलना करते हुए यह सुझाव बार-बार दिया था, झारखंड के मामले में और उत्तराखंड के मामले में भी, कि जब दोनों ही प्रदेशों के आंदोलनों का पूरा इतिहास झारखंड और उत्तराखंड के नाम से हुआ है, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लोग जेल गए हैं, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं और जानें गई हैं तो जिन नामों के आधार पर यह आंदोलन लड़ा गया, उस नाम को ही उस राज्य के साथ बनाए रखने में क्या हर्ज है? लेकिन तत्कालीन एन०डी०ए० सरकार ने दोनों राज्यों का नाम बदला। झारखंड का नाम बनांचल रखा गया और उसके बाद उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल रखा गया और जब दोनों का विरोध हुआ तो उस विरोध के बाद एक राज्य का नाम बदलने के लिए वहां के दबाव में झारखंड नाम वापस मान लिया गया, लेकिन बावजूद तमाम विरोध, प्रतिरोध के वहां की जनता लगातार इस बात की मांग करती रही, आंदोलन प्रदर्शन करती रही, भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने और पार्टी ने उस बात को अनसुना कर दिया।

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): आप जल्दी conclude कर दीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करता हूं। परन्तु जो तथ्य और जो कुछ बातें यहां कही गई हैं, उनका स्पष्टीकरण करना यहां बहुत जरूरी है।

हुआ यह है कि जब प्रदेश बनाया गया तो उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेढ़ साल तक रही। यह रिकॉर्ड की बात है, मुझे उसमें कोई दावा करने की जरूरत नहीं है। वहां सरकार रहते हुए भी प्रति वर्ष उस प्रदेश के विकास के लिए जो कुल बजट था, जब कि एन०डी०ए० सरकार केन्द्र में थी और वहां पर भी भाजपा की सरकार थी,

लेकिन 900 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष का बजट उस प्रदेश के विकास के लिए नहीं मिला ...(**व्यवधान**)... हमने अगले चुनाव में, जब उस प्रदेश में चुनाव हुए ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: स्पेशल स्टेटस दिया गया था ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: वाजपेयी जी ने उसको स्पेशल स्टेटस दिया था ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): ...(**व्यवधान**)... एन॰डी॰ए॰ सरकार ने दिया था ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: विराजो महाराज ...(**व्यवधान**)... विराजो महाराज, अभी पोल खुली जाती है। अभी पोल खुली जाती है। आपने स्पेशल स्टेटस दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो अगला चुनाव क्यों हार गए थे? ...(**व्यवधान**)... इसलिए हार गए थे, क्योंकि इन्होंने वहां की जन-भावनाओं का अपमान किया था ...(**व्यवधान**)... वहां के लोगों की अवहेलना की थी। इन्होंने उस प्रदेश के लोगों का न सिर्फ राजनीतिक रूप से शोषण किया, बल्कि उस चुनाव में यह एक प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन चुनाव में अपने मेनिफेस्टो में जनता से इस बात का वायदा किया था और उसी वायदे के साथ उतरे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी, तो हम उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करेंगे। इस आधार पर जनता ने वहां हमको भारी समर्थन दिया, हम सरकार में आए और उसी बहुमत के आधार पर हम आज खड़े हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं या हमारी सरकार आज जो भी कर रही है, हम ठीक वही कर रहे हैं, जो हमने वहां के पहाड़ के लोगों के लिए ज़बान दी थी। मैं यह भी बता दूं कि आप जिन राजनीतिक कारणों से इस बिल को लाने की बात कर रहे हैं, तो श्रीमान् हमें इसे किसी राजनीतिक कारण से लाने की जरूरत नहीं है। आप केवल 900 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उस प्रदेश के लिए खर्च करते थे, जब आपकी सरकार केन्द्र में भी थी और वहां भी थी। जब से कांग्रेस की सरकार वहां बनी है, और यू॰पी॰ए॰ की सरकार यहां बनी है, आज 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रतिवर्ष का बजट है तथा प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा का हो, सड़क हो, सिंचाई हो या स्वास्थ्य हो, इन क्षेत्रों में जो पिछले 4-5 वर्षों में उत्तरांचल के अन्दर किया गया है, वह अपने आपमें एक अनुकरणीय उदाहरण है ...(**व्यवधान**)... हां यह बात जरूर सही है कि ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: 19 हजार करोड़ का कर्ज है ...(**व्यवधान**)... 19 हजार करोड़ का कर्ज है। जरा होम वर्क कीजिए, चतुर्वेदी जी।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: 19 हजार करोड़ का कर्ज है, तो कर्ज तो आपके जमाने में भी कितना-कितना और किन-किन राज्यों में था ...(**व्यवधान**)... क्या मध्य प्रदेश का कर्ज बताऊं ...(**व्यवधान**)...क्या गुजरात का कर्ज बताऊं, मध्य प्रदेश का कर्ज बताऊं? ...(**व्यवधान**)... कहां-कहां का बताऊं?

..(व्यवधान)... मुझे मालूम है, आप छोड़िए ...(व्यवधान)... श्रीमान् सीधी बात एक यही है कि हमने वही किया है, जो हमने जुबान दी थी, जो हमने वायदा किया था। आज हमें खुशी इस बात की है कि हमारी सरकार अपने वचनों पर खरी उतरी है और इसीलिए वह यहां बिल लाई है। मैं उस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं और मैं आप सब से भी, सदन से, अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तरांचल के नाम को बदल कर उत्तराखंड किए जाने के इस विधेयक को अपना भरपूर समर्थन दें। धन्यवाद।

श्री विनय कटियार: आपका और आपकी पार्टी का ...(व्यवधान)... झारखंड के नाम पर क्या विचार **है? ...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): नहीं, नहीं ...(व्यवधान)... आप बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़ ...(व्यवधान)... भंडारी जी। ...(व्यवधान)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: झारखंड बनाने ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. Kurien): No, no. *(Interruptions).* Don't reply to that. *(Interruptions)*... प्रो॰ राम देव भंडारी

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार)**:** माननीय उपसभाध्यक्ष जी ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): भंडारी जी, आप पहले मेरी बात सुनिए। आपने वायदा किया है कि दो मिनट लेंगे।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, इस पर बोलने के लिए उतना कुछ है ही नहीं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): बोलिए , बोलिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: उपसभाध्यक्ष जी, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखने के सम्बन्ध में जो बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उत्तरांचल और अब उतराखंड, इसको हम देवभूमि कहते हैं, देवों की भूमि का नाम बदलने के नाम पर दोनों तरफ से राजनीति की बात की जा रही है। मिश्र जी कह रहे थे कि उत्तरांचल के लोगों में बड़ा भारी रोष होगा, अगर इसका नाम बदल कर उत्तराखंड किया जाता है। तब लाभ तो आप ही को होगा। अगर रोष होगा तो आगे जो चुनाव आने वाला है, उसमें लाभ आप ही को होगा। इसमें तो आपको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए ... (व्यवधान)... महोदय, नाम बदलने का सिलसिला कोई नया नहीं है एक समय में दिल्ली को हम इन्द्रप्रस्थ कहते थे, उससे पहले भी संभवत: शाहजहांबाद कहते थे। अब बंबई मुंबई हो गई, कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास चैन्नई हो गया और बंगलौर बंगलोरू हो गया। इस तरह नाम बदलने का सिलसिला चलता रहता है। आंदोलन होते हैं कि शहरों का नाम, गलियों का नाम बदला

जाए, उसके लिए सफल-असफल सब तरह के आंदोलन होते हैं। मेरे हिसाब से जितना भारी इस विषय को बनाया जा रहा है, जितनी भारी राजनीति की बात की जा रही है, वैसी बात नहीं है। बी॰जे॰पी॰ की अंचल से थोड़ा ज्यादा लगाव है। आप ठीक कह रहे थे कि झारखंड का नाम वे वनांचल रखना चाहते थे, झारखंड रखा गया। मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा आपत्ति प्रकट करने की बात नहीं है। इसका आपको स्वागत करना चाहिए, बी॰जे॰पी॰ के लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए और इस तरह नाम पर राजनीति से कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला हैं

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का पुनः समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत साधारण सा बिल है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाए, यह प्रस्ताव पारित करके उत्तरांचल की असेंबली ने यहां भेजा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि अगर देश की कोई असेंबली, कोई विधान सभा वहां की जनता की भावनाओं के अनुरूप कोई प्रस्ताव पारित करके भेजती है और नाम बदलने का अनुरोध करती है, तो भारत सरकार के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सिवा इसके कि वह उस राज्य के बहुमत के प्रस्ताव को स्वीकार करे और उस राज्य का नाम बदल दिया जाए।

महोदय, इसी तरह का प्रस्ताव उत्तरांचल की असेंबली ने पारित करके भेजा था, जिसमें यह कहा गया है कि वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस राज्य का नाम उत्तरांचल की बजाय उत्तराखंड कर दिया जाए। इस संबंध में हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय प्रकट की है। इसमें कोई शक नहीं कि सिद्धांत रूप में हमारे सारे माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाए। ठीक है, प्रसाद जी? कुछ तकनीकी आपत्तियां जरूर हमारे माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, जैसे कि हमारे रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा कि इस पर बहुत लंबा खर्चा आएगा। हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार किसी प्रकार का कोई खर्चा इसमें उठाने नहीं जा रही है और जिस असेंबली ने, जिस विधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है, उसने अवश्य इसका आकलन किया होगा कि राज्य का नाम बदलने में कितना खर्चा आएगा। उसने अवश्य यह महसूस किया होगा कि इस खर्चे को हम आसानी से उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। अगर किसी राज्य ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बगैर किसी अतिरिक्त मदद की भारत सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड कर दिया जाए, तो खर्चे की बात का कोई औचित्य नहीं होता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने दूसरी बात राजनीति की कही थी। मैं इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन राजनीति करने ही सब आते हैं। अगर कोई राजनैतिक दल राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप कोई फेर-बदल करके राज्य की जनता की सहानुभूति लेना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह पूरे देश में होता है, हर राज्य में होता है

और इसी को पोलिटिक्स कहते हैं। वह पोलिटिक्स गलत है, जिसमें राज्य की जनता की भावनाओं के विपरीत कोई फैसला लिया जाए।, लेकिन राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप कोई फैसला लिया जाये और जनता का समर्थन हासिल किया जाए, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। जहां तक हमारे माननीय सदस्य श्री कलराज जी ने उत्तराखंड की बात कही कि कभी उत्तराखंड का जिक्र ही नहीं आया, हम माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने जो पहला प्रस्ताव पारित किया था, उसमें उत्तराखंड बनाने का ही संकल्प पारित किया गया था, उत्तरांचल का नहीं। इसलिए यह बात कहना कि कभी कोई नाम ही नहीं आया, यह गलत होगा। उत्तरांचल में पहाड़ों पर जितने भी आंदोलन हुए है, वह उत्तराखंड के नाम पर ही हुए हैं, उत्तरांचल के नाम पर नहीं । इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव उत्तरांचल की विधान सभा ने पारित करके भेजा है, इसमें कहीं जनता की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया।

श्री बनवारी लाल कंचाल जी ने हरिद्वार और रुद्रपुर की बात की है, मैं उनसे साफ कह देना चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से संवैधानिक परिस्थिति का अंदाज़ा होगा, उस मुद्दे को यहां उठाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप इस तरह की कुछ बात करना चाहते हैं, कोई फेर-बदल करना चाहते हैं, किसी राज्य को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उन राज्यों की असैम्बली में जाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश विधान सभा कोई संकल्प पारित करे और वैसा ही संकल्प उत्तरांचल की विधान सभा भी पारित करे, तब तो कोई फेर-बदल हो भी सकता है, अन्यथा इस बात को यहां पर उठाने का कोई औचित्य हमें प्रतीत नहीं होता है कि इसका दूर-दूर तक इस बिल से कोई संबंध है।

मैं और अधिक विवादित बातों को कहना नहीं चाहता हूं, हमारे सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जो उत्तरांचल से राज्य सभा के एक मात्र सदस्य हैं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: श्री हरीश रावत जी भी हैं ...(**व्यवधान**)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: रावत जी इस समय नहीं हैं, इस समय यहां शायद श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ही मौजूद हैं ...(**व्यवधान**) नहीं, नहीं, हरीश रावत जी हैं, लेकिन इस समय सदन में उत्तरांचल से केवल श्री सत्यव्रत जी ही मौजूद हैं, उन्होंने सारी बात को विस्तार से कह दिया है। हम अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय सदस्य खड़े हो जाएं और चिल्लाने लगें या शोर करने लगें।

मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूं कि उत्तरांचल की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस बिल को पास किया जाए और इस बिल को पास करके उत्तरांचल की जनता की भावनाओं की कद्र की जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The question is:

"That the Bill to alter the name of the State of Uttaranchal, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (Prof. P.J. KURIEN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

Need to interlink the rivers of the country

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, water scarcity is one of our main concerns in this century. The agricultural sector, on which majority of our countrymen are involved, is not growing due to non-availability of groundwater in many places and due to inconsistent rainfalls. Large extent of wasteland could not be put to maximum utility due to non-availability of water. Who can ignore the plight of the womenfolk and children walking several kilometres to bring one pot of water for drinking purpose? One of the main reasons for the farmers' indebtedness and suicide is inability to pay the loan obtained for digging bore-well and for cultivation, both failing due to non-availability of water. Wars were fought between kings due to personal rivalry, subsequently between nations on religious ground and thereafter due to dispute in territory, and very recently on the gound of 'war on terrorism'. It is predicted water will be the main crux of dispute between nations in the future. Unfortunately boundary disputes are giving way to water disputes between States. Water and power should not be used to settle the political scores. Hence the solution to provide drinking water, navigation, flood control, and power is only interlinking the river water and preventing excess water going into the sea. Like National Highways,